इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 27

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	8943.68	276.60	9220.28	16180.36	368.68	16549.04	14012.39	408.86	14421.25	21355.89	581.01	21936.90
वसूलियां	*-1021.03*	...	-1021.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**7922.65**	**276.60**	**8199.25**	**16180.36**	**368.68**	**16549.04**	**14012.39**	**408.86**	**14421.25**	**21355.89**	**581.01**	**21936.90**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	128.94	...	128.94	112.40	27.60	140.00	119.32	25.68	145.00	125.80	49.20	175.00
2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	1244.72	145.99	1390.71	1339.13	188.13	1527.26	1351.32	200.68	1552.00	1399.94	348.70	1748.64
3. नियामक प्राधिकरण												
3.01 मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी)	99.70	10.63	110.33	123.60	11.90	135.50	115.05	41.95	157.00	137.50	37.50	175.00
3.02 साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन)	56.51	119.98	176.49	84.50	140.50	225.00	68.00	140.00	208.00	93.04	144.96	238.00
3.03 नियामक प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए)	9.43	...	9.43	12.45	0.55	13.00	11.95	0.55	12.50	13.39	0.61	14.00
3.04 डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.96	0.04	2.00
जोड़- नियामक प्राधिकरण	*165.64*	*130.61*	*296.25*	*220.55*	*152.95*	*373.50*	*195.00*	*182.50*	*377.50*	*245.89*	*183.11*	*429.00*
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**1539.30**	**276.60**	**1815.90**	**1672.08**	**368.68**	**2040.76**	**1665.64**	**408.86**	**2074.50**	**1771.63**	**581.01**	**2352.64**
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
डिजीटल इंडिया कार्यक्रम												
4. इलेक्ट्रानिक अभिशासन												
4.01 कार्यक्रम घटक	214.14	...	214.14	530.74	...	530.74	560.00	...	560.00	631.50	...	631.50
4.02 ईएपी घटक	2.18	...	2.18	25.00	...	25.00	28.00	...	28.00	18.50	...	18.50
जोड़- इलेक्ट्रानिक अभिशासन	*216.32*	...	*216.32*	*555.74*	...	*555.74*	*588.00*	...	*588.00*	*650.00*	...	*650.00*
5. जनशक्ति विकास	78.64	...	78.64	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	323.26	...	323.26	352.00	...	352.00	582.00	...	582.00	240.26	...	240.26
7. इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर्स)	634.03	...	634.03	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00	750.00	...	750.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. बड़े पैमाने के इलैक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर हेतु पीएलआई	1654.96	...	1654.96	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. आईटी/आईटीईएस उद्योग का संवर्धन	66.08	...	66.08	150.00	...	150.00	120.00	...	120.00	130.00	...	130.00
10. साइबर सुरक्षा परियोजनाएं	30.11	...	30.11	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	759.00	...	759.00
11. आईटी / इलेक्ट्रॉनिकी / सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास	275.07	...	275.07	600.00	...	600.00	1000.00	...	1000.00	1148.25	...	1148.25
12. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए)	250.00	...	250.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना	1989.62	...	1989.62	1500.00	...	1500.00	584.00	...	584.00	...	...	...
14. क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना	...	...	...	537.50	...	537.50	454.01	...	454.01	537.50	...	537.50
15. डिजिटल लेनदेन संवर्धन (डिजिटल भुगतान के अलावा)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.50	...	1.50
जोड़-डिजीटल इंडिया कार्यक्रम	**5518.09**	**...**	**5518.09**	**4795.24**	**...**	**4795.24**	**4428.01**	**...**	**4428.01**	**4216.51**	**...**	**4216.51**
16. इंडिया एआई मिशन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	551.75	...	551.75
17. भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम												
17.01 भारत में कम्पाउण्ड सेमीकन्डकर्स/सिलिकन फोटोनिक्स/सेंसर्स फैब/डिस्क्रेट सेमिकन्डक्टर फैब और सेमिकन्डक्टर एसेम्बली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग (एटीएमपी)/ आउटसोर्स्ड सेमीकन्डक्टर एसेम्बली और परीक्षण (ओएसएटी) सुविधाओं के निर्धारण के लिए संशोधित योजना	13.00	...	13.00	1799.92	...	1799.92	1424.84	...	1424.84	4203.00	...	4203.00
17.02 भारत में सेमिकन्डक्टर फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना	...	...	...	1000.00	...	1000.00	12.51	...	12.51	1500.00	...	1500.00
17.03 भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना	...	...	...	0.04	...	0.04	0.01	...	0.01	100.00	...	100.00
17.04 सेमी-कन्डक्टर लैबोरेटरी का आधुनिकीकरण, मोहाली	...	...	...	0.04	...	0.04	16.00	...	16.00	900.00	...	900.00
17.05 डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना	...	...	...	200.00	...	200.00	50.00	...	50.00	200.00	...	200.00
जोड़- भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम	*13.00*	*...*	*13.00*	*3000.00*	*...*	*3000.00*	*1503.36*	*...*	*1503.36*	*6903.00*	*...*	*6903.00*
18. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई)												
18.01 बड़े पैमाने के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	...	...	...	4499.04	...	4499.04	4489.46	...	4489.46	6125.00	...	6125.00
18.02 आई टी हार्डवेयर के लिए उत्पादन आधार पर प्रोत्साहन	...	...	...	146.00	...	146.00	70.42	...	70.42	75.00	...	75.00
जोड़- उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई)	*...*	*...*	*...*	*4645.04*	*...*	*4645.04*	*4559.88*	*...*	*4559.88*	*6200.00*	*...*	*6200.00*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**5531.09**	**...**	**5531.09**	**12440.28**	**...**	**12440.28**	**10491.25**	**...**	**10491.25**	**17871.26**	**...**	**17871.26**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
19. प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक)	250.00	...	250.00	270.00	...	270.00	270.00	...	270.00	270.00	...	270.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
20. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (सी-मैट) के लिए सामग्री केंद्र	62.31	...	62.31	110.00	...	110.00	100.00	...	100.00	110.00	...	110.00
21. एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर)	131.39	...	131.39	160.00	...	160.00	150.00	...	150.00	160.00	...	160.00
22. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	1219.65	...	1219.65	940.00	...	940.00	800.00	...	800.00	600.00	...	600.00
23. भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान	...	...	...	44.00	...	44.00	29.50	...	29.50	20.00	...	20.00
24. सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल)	203.86	...	203.86	533.00	...	533.00	493.00	...	493.00	540.00	...	540.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**1867.21**	**...**	**1867.21**	**2057.00**	**...**	**2057.00**	**1842.50**	**...**	**1842.50**	**1700.00**	**...**	**1700.00**
अन्य												
25. डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया	6.08	...	6.08	11.00	...	11.00	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00
26. वास्तविक वसूली	-1021.03	...	-1021.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य	**-1014.95**	**...**	**-1014.95**	**11.00**	**...**	**11.00**	**13.00**	**...**	**13.00**	**13.00**	**...**	**13.00**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**852.26**	**...**	**852.26**	**2068.00**	**...**	**2068.00**	**1855.50**	**...**	**1855.50**	**1713.00**	**...**	**1713.00**
कुल जोड़	***7922.65***	***276.60***	***8199.25***	***16180.36***	***368.68***	***16549.04***	***14012.39***	***408.86***	***14421.25***	***21355.89***	***581.01***	***21936.90***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. उद्योग	5329.56	...	5329.56	12544.80	...	12544.80	10692.62	...	10692.62	17443.02	...	17443.02
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	1373.44	...	1373.44	1451.53	...	1451.53	1470.64	...	1470.64	1525.74	...	1525.74
3. जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	1219.65	...	1219.65	940.00	...	940.00	800.00	...	800.00	600.00	...	600.00
4. दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	130.61	130.61	...	152.95	152.95	...	182.50	182.50	...	183.11	183.11
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	145.99	145.99	...	215.73	215.73	...	226.36	226.36	...	397.90	397.90
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**7922.65**	**276.60**	**8199.25**	**14936.33**	**368.68**	**15305.01**	**12963.26**	**408.86**	**13372.12**	**19568.76**	**581.01**	**20149.77**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1244.03	...	1244.03	1049.13	...	1049.13	1787.13	...	1787.13
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**1244.03**	**...**	**1244.03**	**1049.13**	**...**	**1049.13**	**1787.13**	**...**	**1787.13**
कुल जोड़	**7922.65**	**276.60**	**8199.25**	**16180.36**	**368.68**	**16549.04**	**14012.39**	**408.86**	**14421.25**	**21355.89**	**581.01**	**21936.90**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय की स्थापना संबंधी खर्च के लिए है।

2. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र:** इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का एक संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) है जो नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रदायगी के लिए ई-शासन, आईसीटी अवसंरचना, एप्लीकेशन और सेवाएं प्रदान करने वाला एक प्रमुख वैज्ञानिक/ तकनीकी संगठन है।

3.01. **मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी):** मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) निदेशालय एक संबद्ध कार्यालय है जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उत्पादों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग और सरकार के लिए परीक्षण, अंशशोधन, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करता है।

3.02. **साइबर सुरक्षा (सीईआरटी- इन):** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, सीईआरटी-इन की स्थापना की गई है। सीईआरटी-इन साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यों जैसे साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार, सूचना सुरक्षा पद्धतियों, प्रक्रियाओं, रोकथाम, प्रतिक्रिया से संबंधित दिशानिर्देश, परामर्शी निदेश, सुभेद्यता नोट और

श्वेतपत्र जारी करने और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग, साइबर सुरक्षा घटनाओं के पूर्वानुमान और अलर्ट, साइबर सुरक्षा की घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय, साइबर सुरक्षा की घटनाओं का समन्वय आदि जैसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और देश में कंप्यूटर संदूषक की घुसपैठ या प्रसार की पहचान, विश्लेषण और रोकथाम के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफ़िक डेटा या जानकारी की निगरानी और संग्रह करने के लिए अधिकृत एजेंसी भी है।

3.03. **नियामक प्राधिकरणों का नियंत्रक (सीसीए):** सीसीए, प्रमाणन प्राधिकारियों (सीए) को डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) जारी करने के लिए लाइसेंस जारी करता है । सीसीए सीए की सार्वजनिक कुंजी को प्रमाणित करता है, सीए द्वारा बनाए रखे जाने वाले मानकों को निर्धारित करता है और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 18 में शामिल अन्य कार्य करता है।

3.04. **डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड:** डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 को 11 अगस्त 2023 को अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए इस तरह से प्रदान करता है जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा के लिए अधिकारों को और ऐसे व्यक्तिगत डेटा को कानूनी उद्देश्यों के लिए संसाधित करने की आवश्यकता और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए मान्यता देता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 के अध्याय V में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड - डीपीबी की स्थापना के लिए व्यवस्था दी गई है। बजट प्रावधान डीपीबी के वेतन और अन्य स्थापना खर्चों को पूरा करने के लिए है।

4. **इलेक्ट्रानिक अभिशासन:** व्यापक रूप से ई-गवर्नेंस का उद्देश्य किफायती दरों पर सभी सरकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए विभिन्न तरीकों से एकीकृत और अंतर-प्रचालनीय प्रणालियों के माध्यम से नागरिकों को उनके इलाके में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। विश्व बैंक समर्थित "इंडिया: लोक सेवाओं की ई-प्रदायगी" परियोजना इलेक्ट्रॉनिकी शासन योजना के तहत एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है। ई-अभिशासन का उद्देश्य मोटे तौर पर एक से अधिक विधियों के जरिए एकीकृत और अंतर्प्रचालनीय प्रणालियों के माध्यम से नागरिकों को उनके इलाके में सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुहैया करना है। विश्व बैंक समर्थित "इंडिया: लोक सेवाओं की ई-प्रदायगी" परियोजना इलेक्ट्रॉनिकी शासन योजना के तहत एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है। इस स्कीम के तहत नीतियों, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी, परियोजना के विकास आदि के व्यापक क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विभिन्न ई-शासन पहलों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

6. **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** यह योजना देश भर के ज्ञान संस्थानों को जोड़ने के लिए कई गीगाबिट बैंडविड्थ के साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित करने के लिए शुरू की गई है।

7. **इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर्स):** सरकार, देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल कर रही है ताकि उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम वातावरण प्रदान किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण "डिजिटल इंडिया" और "मेक इन इंडिया" कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। निवल शून्य आयात प्राप्त करने का इसका लक्ष्य इस आशय का एक शानदार प्रदर्शन है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) में चिपसेट सहित मुख्य घटकों के विकास के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और संचालित करके और उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

9. **आईटी/आईटीईएस उद्योग का संवर्धन:** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश भर में बीपीओ / आईटीईएस के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से डिजिटल कमी वाले क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए और आईटी/ आईटीईएस उद्योग के संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए, नौकरियों के लिए आईटी स्तंभ के अन्तर्गत दो योजनाओं (एनईबीपीएस और आईबीपीएस) का कार्यान्वियन शुरू किया गया है ।

10. **साइबर सुरक्षा परियोजनाएं:** इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा नीति, अनुपालन और आश्वासन, सुरक्षा, घटना- पूर्व चेतावनी और प्रतिक्रिया, सुरक्षा प्रशिक्षण, सक्षम कानूनी ढांचे और सहयोग को सक्षम बनाने के लिए कई तरह की पहल शुरू करके देश के साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना है ।

11. **आईटी / इलेक्ट्रॉनिकी / सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास:** अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करके उभरती हुई प्रौद्योगिकी का प्रसार और समामेलन, आवश्यक अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना और वैज्ञानिक और तकनीकी मानव पूंजी बनाने के अलावा इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। इन प्रयासों के परिणाम से देश में स्टार्ट-अप आधार में वृद्धि, आईपी पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास और तकनीकी जानकारी तथा विनिर्माण के लिए भारतीय कंपनियों को इसके हस्तांतरण की उम्मीद है। विभाग द्वारा समर्थित केंद्रित अनुसंधान एवं विकास को इलेक्ट्रॉनिकी (इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और अनुप्रयोग, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक, नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक संघटक और सामग्री प्रौद्योगिकी, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, नवाचार संवर्धन और स्टार्ट-अप, टीडीआईएल के तहत राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन (एनएलटीएम),उच्च निष्पादन कंप्यूटिंग (एचपीसी) में अनुसंधान एवं विकास के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन; सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास (ब्लॉकचैन, क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम आसूचना, परसेप्शन इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स); सीसी एंड बीटी में अनुसंधान एवं विकास (अगली पीढ़ी संचार -5जी और उससे आगे, संज्ञानात्मक और सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो और नेटवर्क, क्लाउड संचार, आईओटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्रॉडबैंड वायरलेस प्रौद्योगिकी और स्ट्रेटजिक इलेक्ट्रॉनिकी); और सुरक्षा विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं।

14. **क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी उद्योग के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इन पहलों में औपचारिक क्षेत्र से सामने आती कमियों की पहचान करना और इन कमियों को दूर करने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र और औपचारिक क्षेत्र में कार्यक्रम की योजना बनाना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल विकास शामिल है। इस योजना का पीएमजीडीआईएचएसएए घटक ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस उपकरणों, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान हेतु , प्रशिक्षण प्रदान कर उनको सशक्त करने पर लक्षित है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रियता से प्रतिभागिता कर सकें।

15. **डिजिटल लेनदेन संवर्धन (डिजिटल भुगतान के अलावा):** इस योजना का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण और नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए प्रणालियों, ऐप्स के विकास के लिए समग्र डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, जो देश में डिजिटल लेनदेन के विकास में मदद करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने और मापने के लिए अध्ययन सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, योजना के लिए व्यापक प्रभाव वाले अंतर-संबंधित मामले शामिल हैं जिसमें एक मापन ढांचे का सुझाव देना और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार और विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीतिगत अनुशंसा प्रदान करना शामिल है।

16. **इंडिया एआई मिशन:** भारत सरकार ने 7 मार्च 2024 को इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी, जो देश में एआई नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को लोकतांत्रिक बनाने और उत्प्रेरित करने और भारत के एआई स्टार्टअप और शोधकर्ताओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रणनीतिक कार्यक्रमों और साझेदारी के माध्यम से एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। कंप्यूटिंग एक्सेस को लोकतांत्रिक बनाकर, डेटा गुणवत्ता में सुधार, स्वदेशी एआई क्षमताओं का विकास, शीर्ष एआई प्रतिभा को आकर्षित करना, उद्योग सहयोग को सक्षम करना, स्टार्टअप जोखिम पूंजी प्रदान करना, सामाजिक रूप से प्रभावी एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करना और नैतिक एआई को मजबूत करके, यह भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र के जिम्मेदार, समावेशी विकास को प्रेरित करेगा। मिशन में निम्नलिखित 7 घटक शामिल होंगे: इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता, इंडियाएआई इनोवेशन सेंटर, इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, इंडियाएआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडियाएआई फ्यूचर स्किल्स, इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सेफ एंड ट्रस्टेड एआई।

17. **भारत में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम:** आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढाने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइनिंग और विनिर्माण के वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए भारत में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास हेतु एक व्यापक कार्यक्रम – ईएसडीएम को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका परिव्यय 76,000 करोड रुपये है। इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य उन कंपनियों या संघों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर, जिसमें एमईएमएस, फैब्स, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, एटीएमपी या ओसैट और सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल हैं।

18. **उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई):** उत्पादन से जुड़ी दो प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों और आईटी हार्डवेयर में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुडे प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। पीएलआई योजना के तहत पांच साल की अवधि के लिए मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए भारत में निर्मित और पात्र कंपनियों को लक्ष्य खंड के तहत कवर किए गए माल की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 के दौरान) पर 6% से 3% का प्रोत्साहन दिया जाएगा। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना के तहत, चार साल की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को लैपटॉप, सर्वर, टैबलेट और ऑल-इन-वन पीसी के लक्षित खंडों के तहत कवर किए गए भारत में निर्मित और माल की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 के दौरान) पर 4% से 2% का प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा, 17,000 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 2.0 को 29 मई, 2023 को अधिसूचित किया गया था। यह योजना आवेदकों के लिए तन्यकता और विकल्प प्रदान करती है, और वृद्धि को और प्रोत्साहित करने के लिए वृद्धिशील बिक्री और निवेश सीमा से जुड़ी है। इसके अलावा, अर्धचालक डिजाइन, आईसी विनिर्माण और पैकेजिंग को आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 के प्रोत्साहन घटकों के रूप में भी शामिल किया गया है। यह योजना लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ) उपकरणों में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देगी। इस योजना से घटकों और उप-असेंबलियों के स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करके विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और सुदृढ़ बनाने की उम्मीद है और 6 वर्ष की अवधि के लिए पात्र कंपनियों को भारत में निर्मित लक्ष्य खंडों के तहत वस्तुओं की औसत वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) के लिए लगभग 5% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करके देश के भीतर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए लंबी अवधि की अनुमति दी जाएगी।

19. **प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक):** यह आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबद्ध क्षेत्रों में आर एंड डी निष्पादित करने के लिए एक प्रमुख आर एंड डी संगठन है। इसके 12 केंद्र हैं जो बेंगलूरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, नोएडा, पटना, पुणे, सिलचर और तिरुवनंतपुरम में अवस्थित हैं। कुछ जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों में, जहाँ सी-डैक वर्तमान में कार्य कर रहा है, उच्च निष्पादन, ग्रिड और क्लाउड कंप्यूटिंग (राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन सहित), बहुभाषी कंप्यूटिंग, पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक्स; सॉफ्टवेयर तकनीक, साइबर सुरक्षा और साइबर फोरेंसिक, स्वास्थ्य सूचना विज्ञान, और शिक्षा एवं प्रशिक्षण शामिल हैं।

20. **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (सी-मैट) के लिए सामग्री केंद्र:** यह उच्च प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में काम कर रहे एमईआईटीवाई की एक पंजीकृत वैज्ञानिक सोसाइटी है जिसमें एलटीसीसी इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग, ऊर्जा भंडारण सामग्री (रिचार्जेबल बैटरी, सुपर कैपेसिटर, हाइड्रोजन स्टोरेज), अक्षय ऊर्जा सामग्री (सौर सेल, हाइड्रोजन और ईंधन सेल), फोटोनिक्स के साथ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम सामग्री और नैनो सामग्री सहित और 2डी सामग्री शामिल हैं। सी-मेट अल्ट्राप्योर इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल्स कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स (एसआईसी), इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज और आरओएचएस कंप्लायंस पर भी काम कर रहा है, साथ ही माइक्रोवेव डाइलेक्ट्रिक्स मैटेरियल्स और पैकेजिंग, एक्च्यूएटर्स / सेंसर्स के लिए मल्टीलेयर सेरामिक्स और बायोमेडिकल एप्लीकेशन के लिए प्लास्मोनिक मैटेरियल्स सेंसर पर भी काम कर रहा है।

21. **एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिसर्च सोसायटी (समीर):** यह एमईआईटीवाई की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है जो माइक्रोवेव, मिलीमीटरवेब और विद्युत- चुंबकत्व के उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विकास में विशेष लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। इसके मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी में पांच केन्द्र हैं।

22. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई):** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 को लागू करने के लिए की गई है, ताकि सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के सुशासन, कुशल, पारदर्शी और लक्षित वितरण का प्रावधान किया जा सके, जिसके लिए व्यय भारत की समेकित निधि / राज्यों की समेकित निधि से किया जाता है। इसलिए, इसका उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी सेवाओं के निष्पक्ष और न्यायसंगत निष्पादन के माध्यम से 'सुशासन' प्रदान करना है। यह जीवन की आसानी की दिशा में प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है।

23. **भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान:** यह एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है, जो प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन, अनुसंधान और विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा, क्षमता निर्माण और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहायक प्रौद्योगिकी अन्तरण और उद्यमिता विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एमईआईटीवाई के तहत पंजीकृत है।

24. **सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल):** यह इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्द्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है और देश की कार्यनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का कार्य कर रहा है। यह हाइ-रेल बोर्डों, रेडियो साउंड सिस्टमों के विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक उप –प्रणालियों के स्वदेशीकरण का भी कार्य कर रहा है।

25. **डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन पूर्ववर्ती मीडिया लैब एशिया:** यह एमईआईटीवाई के तहत एक धारा 8 कंपनी है जो आजीविका सृजन, विकलांगों के सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी को आईसीटी समाधान के लाभों को सामने लाने पर केंद्रित है।